अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) की अध्यक्षता में प्रिट कार्यकारिणी समिति की नवम् बैठक दिनांक 02.04.2024 का कार्यवृत

दिनांक 02.04.2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे पूर्व निर्धारित एवं संसूचित एजेण्डे के अनुसार पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) कार्यकारिणी समिति की नवम् बैठक अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही:—

क्र.सं.	नाम	पदनाम	विभाग
1.	श्री मनोज कुमार सिंह	अपर मुख्य सचिव /अध्यक्ष, प्रिट	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2.	श्री अटल कुमार राय	निदेशक/उपाध्यक्ष, प्रिट	पंचायती राज, उ0प्र0।
3.	श्री अटल कुमार राय	निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 (सदस्य)	पंचायती राज, उ0प्र0।
4.	श्री अमनदीप डुली	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन (सदस्य प्रतिनिधि)	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
5.	श्री गोविन्द शुक्ल	निदेशक, पंचायती राज लेखा (सदस्य)	पंचायती राज, उ0प्र0।
6.	श्री बी.डी. चौधरी	अपर निदेशक, एस.आई. आर.डी. (सदस्य प्रतिनिधि)	दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान।
7.	श्री अमितोष श्रीवास्तव	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज निदेशालय (सदस्य)	पंचायती राज, उ0प्र0।
8.	श्री आर.एस. चौधरी	संयुक्त निदेशक, पंचायती राज निदेशालय	पंचायती राज, उ0प्र0।
9.	श्रीमती प्रवीणा चौधरी	संयुक्त निदेशक, 'प्रिट'/उपनिदेशक (पं0) (सदस्य)	पंचायती राज, उ0प्र0।
10.	श्री सुनील कुमार वर्मा	संयुक्त निदेशक (सदस्य प्रतिनिधि)	नियोजन विभाग, उ0प्र0।
11.	श्री प्रदीप कुमार	वित्त एवं लेखाधिकारी	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), उ0प्र0।
12.	श्री हरिओम शुक्ला	समीक्षा अधिकारी (सदस्य प्रतिनिधि)	नियोजन विभाग, उ0प्र0।
13.	श्री सुमित कुमार	अधिशासी अभियंता	प्रतिनिधि, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड—वाराणसी, आजमगढ़।
14.	श्री मनोज कुमार	अधिशासी अभियंता	प्रतिनिधि, यू.पी.सिडको, कानपुर मण्डल।

सम्यक् विचारोपरान्त मा0 समिति द्वारा बिन्दुवार निम्नवत् निर्णय लिए गयेः—

क्र. सं.	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
1.	01	प्रिट कार्यकारिणी समिति की गत बैठक दिनांक 16.05.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति।	मा0 समिति द्वारा गत बैठक दिनांक 16.05.2024 के कार्यवृत्त को यथावत् अनुमोदित किया गया तथा गत बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन से समिति अवगत हुई।
2.	03	वित्तीय वर्ष 2023—24 में प्रिट द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुमोदन।	मा0 समिति वर्ष 2023—24 में प्रिट द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों एवं कर्नाटक राज्य की करायी गयी एक्सपोजर विजिट व जनपद—ललितपुर की बेहतर कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों का एक्सपोजर विजिट एवं उड़ीसा राज्य से आये पंचायत प्रतिनिधि मण्डल के एक्सपोजर विजिट से अवगत हुई तथा वर्ष 2023—24 में आयोजित प्रशिक्षणों एवं कराये गये एक्सपोजर विजिट का अनुमोदन प्रदान किया गया।
3.	04	वर्ष 2024—25 हेतु प्रिट की कार्ययोजना का अनुमोदन।	मा0 समिति अवगत हुई तथा वर्ष 2024—25 हेतु प्रस्तुत प्रिट की कार्ययोजना में उल्लिखित 3,66,022 [illegible] प्रतिभागियों का प्रिट मुख्यालय / मण्डल / जनपद / ब्लॉक / डी.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों तथा प्रदेश से बाहर एवं प्रदेश में अधिक से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों की एक्सपोजर विजिट कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा विशेष रूप से महाराष्ट्र के मॉडल ग्राम पंचायत हिवरे बाजार, रालेगांव सिद्धि तथा उत्तर पूर्व राज्यों के विकसित ग्राम पंचायतों की एक्सपोजर विजिट विशेष रूप से कराये जाने के निर्देश देते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।
4.	05	प्रिट में वित्तीय वर्ष 2023—24 में प्राप्त एवं व्यय धनराशियों का मा0 समिति द्वारा अनुमोदन।	मा0 समिति वित्तीय वर्ष 2023—24 में प्राप्त एवं व्यय धनराशियों से अवगत हुई तथा वित्तीय वर्ष 2023—24 में निम्नवत् प्राप्त एवं व्यय धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा वर्ष 2024—25 में प्राप्त होने वाले अनुमानित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित प्रशिक्षणों से समिति अवगत हुई एवं उक्त का अनुमोदन प्रदान किया:—

(धनराशि करोड़ में)

गत वर्ष का अवशेष (01 अप्रैल, 2023 को)	प्राप्तियां		
	राज्य वित्त आयोग	अन्य	योग
1	2	3	4
59.86 Cr.	13.69 Cr.	13.19 Cr.	26.88 Cr.

व्यय						
वेतन / मानदेय मद पर व्यय	कार्यालय मद पर व्यय	विद्युत / अनुरक्षण मद पर व्यय	राज्य वित्त आयोग से प्रशिक्षण पर व्यय	आर.जी. एस.ए. से प्रशिक्षण पर व्यय	विविध व्यय	योग
5	6	7	8	9	10	11
0.65 Cr.	1.12 Cr.	0.50 Cr.	6.31 Cr.	12.72 Cr.	0.17 Cr.	21.47 Cr.

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>एजेण्डा बिन्दु</th><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td rowspan="3">वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुमानित प्राप्तियां</td><td>दिनांक 31.03.2024 की अवशेष धनराशि</td><td>65.27 Cr.</td></tr>
<tr><td>राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि</td><td>14.00 Cr.</td></tr>
<tr><td>बैंक से प्राप्त ब्याज की धनराशि</td><td>2.10 Cr.</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल व्यय योग</td><td>81.37 Cr.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुमोदित व्यय</td><td>प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन एवं एक्सपोजर विजिट पर व्यय</td><td>56.36 Cr.</td></tr>
<tr><td>डी.पी.आर.सी. को प्रशिक्षण के सापेक्ष अवशेष भुगतान, कार्यालय व्यय, वेतन/मानदेय व अनुरक्षण/विद्युत व्यय मद में व्यय</td><td>8.91 Cr.</td></tr>
<tr><td>कुल योग</td><td>65.27 Cr.</td></tr>
<tr><td colspan="3">वर्ष 2024–25 में राज्य वित्त आयोग से अनुमानित धनराशि रु0 14.00 करोड़ प्राप्त होने वाले सम्भावित बजट एवं ब्याज की धनराशि को निदेशक, 'प्रिट' के अनुमोदनोपरान्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>07</td><td>जनपद बलिया व कन्नौज में निर्माणाधीन क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की प्रगति से मा0 समिति को अवगत कराया जाना।</td><td>मा0 समिति को अवगत कराया गया कि शासनादेशानुसार जिलाधिकारी, बलिया द्वारा गठित समिति के द्वारा जनपद बलिया में निर्मित क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के भवन को शीघ्र हैण्डओवर किये जाने हेतु तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है, जिसकी आख्या प्राप्त होते ही अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्मित भवन का हैण्डओवर लिये जाने के निर्देश दिये गये।
जनपद कन्नौज में निर्माणाधीन क्षेत्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की निर्माणदायी संस्था के प्रतिनिधि को 99 प्रतिशत की धनराशि माह जुलाई, 2023 तक प्राप्त करने के उपरान्त भी भवन के निर्माण का कार्य पूर्ण न करने पर अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति द्वारा रोष प्रकट किया गया एवं संस्था के प्रतिनिधि द्वारा ठेकेदार सम्बन्धी बिन्दु को इंगित किये जाने पर निर्देश दिये गये कि समस्त प्रकरण एवं पत्रावली तत्काल शासन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाए।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>08</td><td>पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) में स्थापित कम्प्यूटर लैब के नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</td><td>प्रिट की कम्प्यूटर लैब में स्थापित 50 कम्प्यूटर जो 07 वर्ष से अधिक पुराने हो गये है तथा प्रायः अधिक संख्या में खराब रहते है, उनके स्थान पर पुराने कम्प्यूटर की नीलामी के पश्चात 50 नये कम्प्यूटर डेस्कटॉप सहवर्ती उपकरणों एवं 01 मल्टी फंक्शन प्रिंटर एवं पुराने कम्प्यूटर टेबल व कुर्सी के स्थान पर 50 नई टेबल व कुर्सी स्थापित कराये जाने की स्वीकृति मा0 समिति द्वारा प्रदान की गयी। इस कार्य पर व्यय हेतु सम्भावित धनराशि रु0– 60.00 लाख का अनुमोदन मा0 समिति द्वारा प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>09</td><td>राज्य स्तरीय पंचायत भवन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, लोहिया भवन के प्रांगण में स्थित विशिष्ट अतिथि गृह की मरम्मत एवं उच्चीकरण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</td><td>विशिष्ट अतिथि गृह के उच्चीकरण एवं मरम्मत हेतु रु0–50.00 लाख का व्यय प्रिट की अनुरक्षण मद में अवशेष धनराशि रु0–1.48 करोड़ से वित्तीय नियमों के अनुसार किये जाने की स्वीकृति मा0 समिति द्वारा प्रदान की गयी एवं उक्त अतिथि गृह को पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) के तीसरे हॉस्टल ब्लॉक के रूप में उपयोग किये जाने की सहमति भी प्रदान की गयी।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
8.	10	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) की विगत वर्ष की उपलब्धियों से मा0 समिति को अवगत कराया जाना।	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) का आई.एस.ओ. सर्टिफिकेशन, नवीन लोगो तथा तैयार करायी गयी वेबसाइट से मा0 समिति अवगत हुई तथा अच्छे कार्यों की प्रशंसा की गयी एवं नवीन लोगो का अनुमोदन मा0 मंत्री जी के स्तर से लिये जाने के निर्देश दिये गये।
9.	11	जूम लाईसेंस हेतु फीस, प्रचार–प्रसार हेतु पत्रिकाएं एवं साहित्य व अन्य व्ययों के लिए धनराशि की व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव।	कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग के कार्यालय हेतु जूम लाईसेन्स की फीस रु0 50.00 लाख, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विभागीय कार्यों के प्रचार–प्रसार हेतु पत्रिकाओं (वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक) एवं अन्य साहित्य का मुद्रण हेतु रु0 50.00 लाख, प्रिट की वेबसाइट के मेंटीनेंस व ऑनलाईन लर्निंग प्लेटफार्म हेतु सर्वर के मेंटीनेंस पर व्यय हेतु रु0 30.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया। जनपद–जालौन में आयोजित पंचायत दिवस पर हुए व्यय के भुगतान हेतु रु0– 80.43 लाख के अनुमोदन के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त कार्यक्रम का भुगतान वर्ष 2022 से अब तक न किये जाने का कारण पूछे जाने पर समिति को अवगत कराया गया कि उक्त कार्यक्रम को मात्र दो दिन के अन्दर आयोजित करने का समय मिलने के कारण एवं मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम सम्पन्न होने के दृष्टिगत तत्कालीन निदेशक महोदय द्वारा लखनऊ से ही एजेन्सी को जर्मन हैंगर, मंच साज–सज्जा, एल.ई.डी. स्क्रीनिंग एवं साउण्ड सिस्टम आदि के कार्य हेतु निर्देशित किया गया था, जिसको उक्त एजेन्सी द्वारा सकुशल सम्पादित किया गया एवं जनपद–जालौन के लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्यों की एम.बी. भी प्रेषित किया गया है एवं उक्त एजेन्सी को भुगतान हेतु पंचायती राज विभाग से समन्वय करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः जिला पंचायत राज अधिकारी से पुष्टि के उपरान्त एजेन्सी को भुगतान किया जाएगा।
10.	12	आर.जी.एस.ए. योजनान्तर्गत प्रिट हेतु फैकल्टी (स्वच्छता तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन) के पद पर आउटसोर्सिंग से कार्यरत श्री मनीष कुमार मिश्र के मानदेय में की गयी वृद्धि की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 समिति अवगत हुई तथा आर.जी.एस.ए. योजनान्तर्गत प्रिट हेतु फैकल्टी (स्वच्छता तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन) के पद पर आउटसोर्सिंग से कार्यरत श्री मनीष कुमार मिश्र के मानदेय में की गयी वृद्धि रु0 10,000/– की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

क्र. सं.	एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय
11.	13	प्रिट में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत ऐसे कार्मिक, जिनकी सेवाएं 02 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी है, उन्हें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत का इंक्रीमेंट दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	कार्यकारिणी समिति उक्त प्रस्ताव से सहमत न होते हुए विगत बैठक दिनांक 22.02.2022 के कार्यवृत्त बिन्दु संख्या–07 के अनुसार 03 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि किये जाने के निर्देश मा0 समिति द्वारा प्रदान किये गये।
12.	14	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों हेतु विभिन्न विषयों से सम्बन्धित रिसोर्स पर्सन व विशिष्ट वार्ताकारों के मानदेय का निर्धारण के सम्बन्ध में।	प्रिट द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों हेतु ट्रेनर्स/रिसोर्स पर्सन का मानदेय मा0 समिति द्वारा निम्नवत् अनुमोदित किया गयाः– क) ऑफलाइन प्रशिक्षण हेतुः– 1. विशिष्ट वार्ताकार –रु0 2,000/– प्रति वार्ता। 2. अन्य ट्रेनर्स/रिसोर्स पर्सन –रु0 1,500/– प्रतिदिन। ख) ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतुः– 1. विशिष्ट वार्ताकार – रु0 1,000/– प्रतिदिन। 2. अन्य ट्रेनर्स/रिसोर्स पर्सन– रु0 500/– प्रतिदिन।
13.	15.	अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	पंचायती राज विशेषज्ञ एवं ग्राम विकास विशेषज्ञ के एक–एक पदों को उच्चीकृत करने सम्बन्धी शासन को भेजे गये प्रस्ताव को तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश बैठक में उपस्थित विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन को दिये गये।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रवीणा चौधरी)
संयुक्त निदेशक/सचिव,
पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान
(प्रिट)।

(अटल कुमार राय)
निदेशक/उपाध्यक्ष,
पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान
(प्रिट)।

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव/अध्यक्ष,
पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान
(प्रिट)।

संख्या–प्रिट/ 534 /2024–3/72/2019 दिनांक-08 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग/नियोजन विभाग/वित्त विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।
3. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, पंचायती राज लेखा, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

(प्रवीणा चौधरी)
संयुक्त निदेशक/सचिव,
'प्रिट'